प्रेषक,

निदेशक, पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

संख्याः 5/शा0/646/2013–5/43(A)/2012 लखनऊ दिनांकः 10 अक्टूबर, 2013

विषयः निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत आई.ई.सी./एच.आर.डी. गतिविधियों के मानकीकरण हेतु लगी रोक को हटाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपको संबोधित एवं समस्त जिलधिकारियों को पृष्ठांकित निदेशालय के पत्र सं 5/1153/2012–5/43/2012 दिनांक 01 नवम्बर 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत आई.ई.सी./एच.आर.डी. गतिविधियों के मानकीकरण एवं पारदर्शिता तथा एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से आई.ई.सी./एच.आर.डी. गतिविधियों के कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी थी।

2– उक्त कम में आई.ई.सी./एच.आर.डी. गतिविधियों के मानकीकरण हेतु निदेशालय स्तर पर कमेटी गठित की गयी। गठित समिति द्वारा सर्वसम्मति से दिये गये Suggestive list of activities(परामर्शी गतिविधियां)/सुझाव शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया।

3– संदर्भित प्रकरण में प्रमुख सचिव पंचायतीराज, उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0 2355(1)/33–3–2013–34/2013 दिनांक 28 अक्टूबर 2013 द्वारा निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत आई.ई.सी./एच.आर.डी. गतिविधियों पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए आई.ई.सी./एच.आर.डी. गतिविधियों के संचालन के संबंध में संयुक्त निदेशक पंचायतीराज की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार आई.ई.सी./एच.आर.डी. कार्यकलापों/गतिविधियों को संचलित किये जाने के संबंध में अनुमति प्रदान की गयी है। दरों/विशिष्टियों के संबंध में स्टोर परचेज रूल्स, अन्य वित्तीय संगत नियमों तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

4– निर्मल भारत अभियान के सफल कियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला स्वच्छता समिति परामर्शी गतिविधियों में से आवश्यकतानुसार गतिविधियां चयन कर सकती हैं। इस संबंध में कार्यवाही जनपद स्तर पर हीं जिला स्वच्छता समिति के स्तर से नियमानुसार वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए की जानी है।

अतः शासन द्वारा स्वीकृत Suggestive list of activities(परामर्शी गतिविधियां)/सुझाव की प्रति संलग्न करते हुए निदेर्शित किया जाता है कि दिये गये सुझावों एवं समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्मल भारत अभियान की मार्ग दर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आई.ई.सी./एच.आर.डी. गतिविधियों का कियान्वयन जिला स्वच्छता समिति से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाय।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
निदेशक
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः5 /पं०/65/1/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ०प्र० शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

3– समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति, उ०प्र०।

4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति, उ०प्र०।

5– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०), उ०प्र०।

(गिरीश चन्द्र)
उपनिदेशक(पं०)
पंचायती राज, उ०प्र०।

प्रेषक, संख्या–2355(1)/33–3–2013–34/2013

अशोक कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज,अनुभाग–3

लखनऊः दिनांक–28अक्टूबर,2013

विषयः–निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत आई0ई0सी0/एच0आर0डी0 गतिविधियों को प्रदेश स्तर पर एकरूपता प्रदान करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 5/1124/2013–5/ 43(ए)/2013 दिनांक 05 अगस्त, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में आई0ई0सी0 /एच0आर0डी0 गतिविधियों को प्रदेश स्तर पर एकरूपता प्रदान करने हेतु आपके पत्र दिनांक 01 नवम्बर, 2012 द्वारा आई0ई0सी0 गतिविधियों के मानकीकरण हेतु तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए आई0ई0सी0 मानकीकरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक कमेटी गठित की गयी थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से Suggestive list Activities (परामर्शी गतिविधियॉ) सुझाव के रूप में प्रस्तुत की गयी है, जिनमें से जिला स्वच्छता समिति जनपद में चलाए जा रहे निर्मल भारत अभियान की आवश्यकतानुसार गतिविधियों संचालित कर सकती है। आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि दरों के मानकीकरण का निर्धारण पंचायती राज निदेशालय स्तर से किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में कार्यवाही जिला स्वच्छता समिति के स्तर से वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए की जानी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0ई0सी0 गतिविधियों के संचालन के संबंध में संयुक्त निदेशक, पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार आई0ई0सी0 कार्य–कलापों/ गतिविधियों को संचालित किये जाने के संबंध में अनुमति प्रदान की जाती है। दरों/विशिष्टियों के संबंध में स्टोर परचेज रूल्स, अन्य वित्तीय संगत नियमों तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार स्वयं अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करें, इस संबंध में शासन स्तर से अतिरिक्त निर्देश दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

उप निदेशक (पंचायत)

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

निदेशक
28/10/13

28/10/2013

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत आई0ई0सी0/एच0आर0डी0 गतिविधियों को प्रदेश स्तर पर एक रूपता प्रदान करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त

निदेशक, पंचायतीराज, उ0 प्र0 का पत्र सं0 5/581/2013–5/43/2012 दिनांक 3 मई 2013 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 16 मई 2013 को संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय की अध्यक्षता में संपन्न हुयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे–

1– श्री आर. के तिवारी– मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), लखनऊ मण्डल
2– श्री ए0 के0 सिंह – मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), चित्रकूटधाम मण्डल
3– श्री आर0 डी0 सिंह– मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), पंचायतीराज निदेशालय, उ0 प्र0

बैठक मे निम्न प्रकार चर्चा कर संस्तुति की गयी–

वर्ष 2012 से पूर्व से चलाये जा रहे सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के स्थान पर निर्मल भारत अभियान का कियान्वयन किया जा रहा है। इसके संबंध में भारत सरकार द्वारा जुलाई 2012 में निगर्त मार्ग निर्देशिका अन्तर्गत विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त मार्गदर्शिका के अनुसार निम्नलिखित कार्यों को लिया जाना प्राविधानित किया गया है–

1– व्यक्तिगत शौचालय
2– स्कूल शौचालय
3– आंगनवाडी शौचालय
4– सामुदायिक स्वच्छता परिसर
5– ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
6– आरंभिक क्रियाकलाप
7– आई0ई0सी0 गतिविधियां
8–दक्षता निर्माण
9– प्रशासनिक प्रभार

ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण ही काफी नहीं है वरन् यह आवश्यक है कि उनका उपयोग भी सुनिश्चित किया जाये। यह तभी सम्भव है जबकि जन सामान्य में स्वच्छता एवं स्वच्छ पर्यावरण के प्रति सही जानकारी हो, वह स्वच्छता से होने वाले लाभों के प्रति भली भांति भिज्ञ हों, साथ ही बेहतर सामाजिक जीवन के प्रति जागरूक हों। स्वच्छता की आदतें बेहतर स्वास्थ्य के साथ–साथ व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं को सुविधा, सम्मान एवं सुरक्षा भी प्रदान करती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि आई0ई0सी0 में उपलब्ध धनराशि का मितव्ययता के सिद्धांतों के साथ इस तरह से उपयोग हो कि उसे दूरस्थ क्षेत्रों तक व्यापक रूप से पहुँचाया जा सके। इस हेतु प्रदेश में एकरूपता बनाये जाने के उद्देश्य से कतिपय गतिविधियां प्रस्तावित की जा रही हैं। जिला स्वच्छता समितियों द्वारा उक्त गतिविधियों के अनुसार ही कार्यो का चयन एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका में स्टोर

योजनाओं/कार्यो/ गतिविधियों का चयन किया जाये। जिला स्वच्छता समितियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि जो भी कार्य उनके द्वारा स्वीकृत किये जा रहे हैं उनका विस्तृत विवरण तैयार कर लिया गया है। प्रस्तावित गतिविधियां निम्न हैं–

प्रस्तावित गतिविधियाँ

1 साहित्य का विकास एवं मुद्रण

जिला स्तर पर वर्तमान में प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न [illegible] के साहित्य (पुस्तिकायें, पम्फलेट्स आदि) की आवश्यकता पड़ेगी जिसका विकास विषय विशेषज्ञों की कार्यशाला/बैठक का आयोजन कर किया जाये। कार्यशाला में जिले की आवश्यकता के अनुरूप साहित्य तैयार का उसका मुद्रण जिला स्वच्छता समिति के अनुमोदन से किया जाये।

- **अध्यक्ष** – जिलाधिकारी
- **उपाध्यक्ष** – मुख्य विकास अधिकारी
- **प्रतिभागी** – स्वच्छता, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, कम्यूनिकेशन, प्रशिक्षण आदि से सम्बंधित विषय विशेषज्ञ।
- **प्रस्तावित कुल गतिविधियाँ / आवृत्ति** –दो वर्ष में एक बार।
- **अभिलेखीकरण** – 1–उपस्थिति पंजिका
  2– कार्यशाला/बैठक का कार्यवृत्ति व उसका निर्गती करण
  3–कार्यशाला में की गयी समस्त गतिविधियों की 10 स्टिल फोटोग्राफ तैयार किये जायेंगे।
  4–कार्यशाला में वितरित की गयी पाठन सामग्री।

2. जिलास्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला–

प्रतिभागी–जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 तथा लगभग 20 लाईन डिर्पाटमेंन्ट के जिलास्तरीय अधिकारी यथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम आदि व समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त सहायक विकास अधिकारी

अध्यक्ष– जिला पंचायत अध्यक्ष/ जिलाधिकारी– मूलभाव अभिभाषण/वक्ता तथा मुख्य अतिथि आदि का उपलब्धता के आधार पर निर्णय किया जाये।

रिर्सोस पर्सन/सुगमकर्ता–

1– मुख्य विकास अधिकारी
2– जिला पंचायत राज अधिकारी
3–मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) यथासंभव

स्थल– [illegible] आर0आई0आर0डी0 /विकास भवन सभागार/ जिला पंचायत सभागार

वितरण सामग्री व साहित्य–

- योजना की गाईड लाईन
- शासनादेश

- यदि जनपद स्तर पर कोई साहित्य मुद्रित कराया गया हो तो उसकी एक–एक प्रति
- प्लास्टिक फोल्डर नोट बुक व पेन
- अभिलेखीकरण– कार्यशाला में की गयी समस्त गतिविधियों की कार्यवाही का 30 मिनट का आडियो–वीडियो तथा 10 स्टिल फोटोग्राफ तैयार किये जायेंगे।

प्रस्तावित कुल गतिविधियॉ / आवृत्ति –वर्ष में एक बार।

3. <u>निर्वाचित प्रतिनिधियों की कार्यशाला/उन्मुखीकरण –</u>

अध्यक्ष – जिलाधिकारी
संयोजक -- मुख्य विकास अधिकारी
उप संयोजक – जिला पंचायत राज अधिकारी
विशेष अतिथि –क्षेत्रीय सांसद, विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष
अन्य प्रतिभागी –जिला स्वच्छता समिति के सभी सदस्य

रिर्सोस पर्सन/सुगमकर्ता--

1– मुख्य विकास अधिकारी
2– जिला पंचायत राज अधिकारी
3–मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) यथासंभव

स्थल– जनपद मुख्यालय यथा आर0आई0आर0डी0 /विकास भवन सभागार/ जिला पंचायत सभागार

वितरण सामग्री व साहित्य–

- योजना की गाईड लाईन
- शासनादेश
- यदि जनपद स्तर पर कोई साहित्य मुद्रित कराया गया हो तो उसकी एक–एक प्रति प्लास्टिक फोल्डर,नोट बुक व पेन

-88-

- **अभिलेखीकरण**– 1–उपस्थिति पंजिका
  2– कार्यशाला/बैठक का कार्यवृत्ति व उसका निर्गती करण
  3–कार्यशाला में की गयी समस्त गतिविधियों की कार्यवाही का 30 मिनट का आडियो–वीडियो तथा 10 स्टिल फोटोग्राफ तैयार किये जायेंगे।
  4–कार्यशांला में वितरित की गयी पाठन सामग्री।
- **प्रस्तावित कुल गतिविधियॉ / आवृत्ति** –वर्ष में एक बार।

4. <u>ग्रामीण प्रतिनिधियों का कार्यशाला (विकास खण्ड स्तर पर)</u>

अध्यक्ष– प्रमुख
प्रतिभागी– समस्त सदस्य क्षेत्र पंचायत
आयोजक– सहायक विकास अधिकारी(पं0)
रिसोर्स पर्सन/सुगम कर्ता–

6 & 12

- जिला पंचायत राज अधिकारी
- खण्ड विकास अधिकारी
- [illegible]
- [illegible]

स्थल– विकास खण्ड मुख्यालय / आर0आई0आर0डी0 / डी0आई0आर0डी0 अथवा अन्य सुलभ स्थान

वितरण सामग्री –

- निर्मल भारत अभियान की गाईड लाइन
- शासनादेश
- यदि जनपद स्तर पर कोई साहित्य मुद्रित कराया गया हो तो उसकी एक–एक प्रति
- प्लास्टिक फोल्डर,डयरी व पेन

  इन कार्यशालाओं में समाज के विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति/धर्म गुरु को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

- **अभिलेखीकरण**– 1–उपस्थिति पंजिका

  2– कार्यशाला/बैठक का कार्यवृत्ति व उसका निर्गती करण

  3–प्रत्येक कार्यशाला की कार्यवाही का 60 मिनट का आडियो–वीडियो तथा 10 स्टिल फोटोग्राफ तैयार कर उसकी एक प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी व एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पं0) कार्यालय में रखी जायेगी तथा www.panchayatirai.up.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

  4–कार्यशाला में वितरित की गयी पाठन सामग्री।

प्रस्तावित कुल गतिविधियॉ/आवृत्ति – प्रत्येक विकास खण्ड में–एक (जिन विकास खण्डों में लगभग 30–35 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं वहां दो कार्यशालाऐं आयोजित की जायेंगी)

-68-

5. **समुदाय आधारित निर्मल भारत अभियान की गतिविधियॉ–**

सहभागी ग्रामीण अध्ययन (पी0आर0ए0)/ Participatory Rural Appraisal

आयोजक– सहायक विकास अधिकारी(पं0)

कार्यक्रम क्रियान्वयक– सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी)

सुगम कर्ता– जिला स्वच्छता समिति द्वारा अनुमोदित चयनित एन0जी0ओ0/दक्षता प्राप्त व्यक्ति

विषय–

- प्रास्थिति (Status)
- आवश्यकता आंकलन (Need analysis)

- समाधान योजक/निर्मल भारत अभियान के माध्यम से अवगत कराया जाय।
- उन विषयों का चिन्हीकरण जो अभी तक निर्मल भारत अभियान के [illegible]
- [illegible]

प्रतिभागी – सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, सदस्य व अन्य ग्रामवासी

स्थल – सम्बंधित ग्राम पंचायत का मुख्य ग्राम

- अभिलेखीकरण– 1–उपस्थिति पंजिका

  2–कार्यशाला/बैठक का कार्यवृत्ति व उसका निर्गती करण

  3–प्रत्येक कार्यशाला की कार्यवाही का 30 मिनट का आडियो–वीडियो व 10 स्टिल फोटोग्राफ।

  4–एक संक्षिप्त कार्यवृत्त/टिप्पणी उपस्थिति सहित तीन प्रतियों में (ग्राम पंचायत, स0वि0अधि0 तथा जि0पं0राज0अधि0 कार्यालय में रखने हेतु)

  5–कार्यशाला में वितरित की गयी सामग्री।

6. <u>दैनिक अखबारों में विज्ञापन–</u>

- सूचना विभाग द्वारा निर्धारित/सत्यापित दरों पर विज्ञापन (न्यूनतम दो अखबार अधिकतम चार अखबार)
- विज्ञापन प्रमुख दिवसों जैसे–राष्ट्रीय पर्व/महापुरूषों के जन्मदिन/अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस/महिला दिवस/हैण्डवासिंग डे जैसे अवसरो पर (आवृत्ति–वर्ष में अधिकतम चार बार)

7. <u>स्थानीय लोक विधाओं का उपयोग–</u>

- जैसे–गीत यथा आल्हा, बिरहा, लांगूरिया
- नाटक
- नौटंकी
- कठपुतली

आयोजक –सहायक विकास अधिकारी (पं0)/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी

पर्यवेक्षण – [illegible]

स्थान –चयनित ग्राम पंचायत।

दरें – सूचना विभाग द्वारा निर्धारित/अनुमोदित मानक व दरे।

- अभिलेखीकरण – 1–उपस्थिति

  2–प्रत्येक गतिविधि का 30 मिनट का आडियो–वीडियो व 10 स्टिल फोटोग्राफ।

3–गतिविधि की विस्तृत रिपोर्ट की कार्यवृत्ति एवं निर्गतीकरण

- **आवृत्ति –** एक ग्राम पंचायत में अधिकतम वर्ष में दो बार, इस प्रकार की अधिक से [illegible] ग्राम पंचायतों [illegible]

८ होर्डिंग:-

- स्थान की उपलब्धता एवं उपयुक्तता के अनुसार लगाये जायें।

क्रम. सं.	स्तर	अधिकतम संख्या	लगभग आकार
1.	जिला स्तर पर	04	12'x 8'
2.	विकास खण्ड	02	10'x 6'

- प्रयुक्त चादर गेज–22 गेज एगिंल आयरन के साथ।

स्थल– होर्डिंग ऐसे स्थानों पर ही लगायी जाय जहां वह

1–स्पष्ट दृश्य व पठनीय हो।

2–अधिकतम व्यक्ति उसे देख सकें।

3–यद्दपि चित्रात्मक (Depiction) को वरीयता दी जाय तथापि मर्यादित चित्र व चित्रशैली का ही प्रयोग किया जाय। प्रत्येक दशा में नारी सम्मान को ठेस पहुचाने वाले चित्र व भाषा का प्रयोग न किया जाय। चित्र व भाषा का प्रयोग से पूर्व अनिवार्य तौर पर जिला स्वच्छता समिति से अनुमोदित कराया जाये।

अभिलेखीकरण – प्रत्येक के 10 स्टिल फोटोग्राफ

9. <u>स्कूलों में स्वच्छता विज्ञान प्रदर्शनी–</u>

प्रत्येक विकास खण्ड में अपर प्राईमरी पाठशाला तक के बच्चों में स्वच्छता पर प्रतियोगिताऐं

- निबन्ध लेखन –प्रतियोगिता।
- चित्रकारी -- प्रतियोगिता।

पुरस्कार की धनराशि–

- प्रथम स्थान– रू0 500, द्वितीय स्थान– रू0 300 तथा तृतीय स्थान– रू0 200।

स्थान –डायट/विकास खण्ड मुख्यालय पर संकुल विद्यालय परिसर/आर0आई0आर0डी0 / डी0आई0आर0डी0/विकास खण्ड मुख्यालय

आयोजक – खण्ड विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक विकास अधिकारी(पं0)

सुगमकर्ता – संबंधित पाठशालाओं के प्राध्यापक

अतिथि –सम्बंधित क्षेत्र पंचायत के प्रमुख

[illegible] दिवस/स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर किया जा सकता है।

- **अभिलेखीकरण** – 1–उपस्थिति

2--कार्यशाला/बैठक का कार्यवृत्ति व उसका निर्गती करणप्रत्येक के 10 स्टिल फोटोग्राफ,

अवृत्ति — [illegible]

10. स्वच्छता सप्ताह--

स्वच्छता सप्ताह का आयोजन महापुरूषों की जन्म तिथि /पुण्यतिथि के अवसरों पर जैसे--

महात्मा गांधी जयन्ती	— 02 अक्टूबर
डा0 राम मनोहर लोहिया जन्म तिथि	— 23 मार्च
डा0 राम मनोहर लोहिया पुण्य तिथि	— 12 अक्टूबर
डा0 भीम राव अम्बेडकर जन्मतिथि	— 14 अप्रैल
डा0 भीम राव अम्बेडकर पुण्यतिथि	— 06 दिसम्बर

- **अभिलेखीकरण--** 1--उपस्थिति

  2--स्वच्छता सप्ताह की कार्यवृत्ति व उसका निर्गती करण

  3--प्रत्येक कार्यशाला की कार्यवाही का 10 मिनट का आडियो – वीडियो व 10 स्टिल फोटोग्राफ।

  4--एक संक्षिप्त कार्यवृत्त/टिप्पणी उपस्थिति सहित तीन प्रतियों में।

11. क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले मेलों में प्रचार प्रसार

जनपद/ विकास खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न मेलों धार्मिक आयोजनों में प्रचार प्रसार किया जाये।

स्थान — मेलों का आयोजन का स्थान

अभिलेखीकरण — 1—मेले की कार्यवृत्ति व उसका निर्गती करण

2—प्रत्येक कार्यशाला की कार्यवाही का 10 मिनट का आडियो—वीडियो व 10 स्टिल फोटोग्राफ।

3—एक संक्षिप्त कार्यवृत्त/टिप्पणी उपस्थिति सहित तीन प्रतियों में।

4—प्रत्येक के 10 स्टिल फोटोग्राफ

अवृत्ति — आवश्यकतानुसार

12 अन्य

उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियों के अतिरिक्त यदि ग्राम पंचायत/ विकास खण्ड /जिले स्तर पर को अतिरिक्त गतिविधि कराये जाने की आवश्यकता होती है तो जिला स्वच्छता समिति के अनुमोदन के उपरान्त कराया जा सकता है।

10.8.12.

13\. आई०ई०सी० के अन्तर्गत कार्यो का क्रियान्[illegible] जिला स्वच्छता समिति के पूर्वानुमोदन के पश्चात ही किया जाये। इस हेतु गतिविधिवा[illegible] [illegible]स्तृत कार्ययोजना तैयार की जाय तथा उक्त कार्ययोजना में प्रत्येक गतिविधिवार अनुमोदि[illegible] [illegible]नराशि तथा उसके अन्तर्गत कि[illegible] जाने वाले कार्यों/प्रतिभागियों की संख्या, माप, स्था[illegible] आदि का विवरण स्पष्ट तौर पर उल्लिखित किया जाये। उदाहरण के लिए जिला स्व[illegible] समिति के समक्ष होर्डिंगों के निर्माण का प्रस्ताव रखा जाता है तो उसके निम्नलिखित [illegible]न्दुओं पर स्पष्ट रूप से समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाये–

- होर्डिंग लगाये जाने का स्थल।
- होर्डिंगों की कुल संख्या।
- यदि भिन्न आकार की होर्डिंग लगायी जानी है तो उनके आकार सहित अलग–अलग स्थानों पर लगाये जाने वाली होर्डिंगों की संख्या।
- होर्डिंग की मात्रा, लागत आगणन जिसमें प्रयुक्त लोहे की गेज की सीट, आकार, एवं एंगिल की संख्या आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। यह भी उल्लेख किया जाये कि भूमि के अन्दर कितनी गहराई तक गाड़ा जायेगा।
- प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री (विवरण सहित)

14\. आई०ई०सी० के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रशिक्षणों को जिला स्वच्छता समिति के पूर्वानुमोदन के पश्चात ही किया जाये। इस हेतु गतिविधिवार विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाय तथा उक्त प्रशिक्षण में प्रत्येक गतिविधिवार अनुमोदित धनराशि तथा उसके अन्तर्गत प्रतिभागियों की संख्या, पाठन सामग्री, स्थान, रिसोर्स परसन आदि का विवरण स्पष्ट तौर पर उल्लिखित किया जाये। उदाहरण के लिए जिला स्वच्छता समिति के समक्ष जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा जाता है तो उसके निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्ट रूप से समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाये–

- प्रशिक्षण स्थल का चयन।
- प्रतिभागियों की संख्या।
- प्रशिक्षण में वितरित की जाने वाली सामग्री का मानकीकरण एवं मात्रा।
- भोजन एवं जलपान की व्यवस्था।
- प्रस्तुतिकरण हेतु एल०सी०डी० प्रोजेक्टर लेपटॉप इत्यादि (विवरण सहित)

उपर्युक्त गतिविधियों के वित्तीय मानकीकरण के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त समिति ने यह मत प्रस्तुत किया कि चूँकि प्रदेश मुख्यतः 4 भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है इसलिये पूरे प्रदेश के लिये किसी भी गतिविधि के लिये एक समान दर निर्धारित [illegible] [illegible]। इसी आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्रियों आदि के लिये शेड्यूल आफ रेट पृथक–पृथक परिमण्डलों के लिये जारी किया जाता है। इसलिये समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह संस्तुति करने का निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित विषयों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न स्तर की गतिविधियों के लिये दर एवं मूल्य का निर्धारण संबंधित जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जाय :–